

2/3/24 फनावली पेश हुई। वादी अथवा
वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं
आया। न्यायालय परिसर के बाहर
बार - बार आवाज लगावारी गई। बावजूद
आवाज के कोई हाजिर नहीं आया। इससे
परीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति
उदासीन है तथा वाद को आगे चलना नहीं
चाहता। वाद वादी अदम हाजरी अदम
पैरवी में खाबीज छिदा जाना उचित समझते
हैं।

अतः वाद वादी अदम हाजरी अदम
पैरवी में खाबीज छिदा जाना है। फनावली
फैसल शुमार लेकर मम्बर से कम है। दाखिल
दाखल हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया
गया।

महायुक्त कलक्टर एवं कायपालक
मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक लालसोट